रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230761
CG-DL-E-27102021-230761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
No. 516] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर 2021

फा. सं. बीएस/11/05/2018.—ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 13 और 14 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 का और संशोधन के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), में अध्याय 1 के अध्याय शीर्षक में 'नवीकरण' शब्द का लोप किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन: - (1) कोई आभूषण विक्रेता अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की बिक्री करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन, इन विनियमों से उपाबंद्ध प्ररूप 1 में ब्यूरो को किया जाएगा।

(3) ब्यूरो का विनिश्चय अस्वीकृति के आधारों के साथ आवेदक को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(4) यदि किसी आभूषण विक्रेता के भारत में कहीं भी पांच या अधिक खुदरा आउटलेट हैं, तो वह एक प्रमाणपत्र में विभिन्न खुदरा दुकानों को आविष्ट करते हुए कॉर्पोरेट स्तर पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विकल्प चुन सकता है।"

4. उक्त विनियमों में, विनियम 4 में, -

(क) उप-विनियम (1) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (2) में, "पांच साल की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "जीवन-पर्यन्त" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम, अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3क) हॉलमार्क वाले आभूषणों में परिवर्तन आभूषणों के भार के पचास प्रतिशत या दो ग्राम तक, जो भी कम हो, आभूषण विक्रेता पर शुद्धता की जिम्मेदारी के अध्यधीन अनुज्ञात होगा।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 6 का लोप किया जाएगा ।

7. उक्त विनियमों में, विनियम 7 में, -

(i) "या गैर-नवीकरण" शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (1) में "या नवीकरण नहीं कर सकेगा " और उप-विनियम (2) में शब्दों "या इसके नवीकरण न करने" का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (8) में "या नवीनीकृत नहीं किया है," और उप-विनियम (10) में शब्दों "या नवीनीकृत न किये गए" का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-विनियम (12) में, ",गैर-नवीकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (12) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(13) कोई भी मान्यताप्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र, ब्यूरो द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक ऑफसाइट परख और हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित कर सकेगा।"

9. उक्त विनियमों में, विनियम 10 में, उप-विनियम (10) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(10क) जब कभी अपेक्षित हो, ब्यूरो उप-विनियम (10) के अधीन विनिर्दिष्ट हॉलमार्किंग फीस में छूट दे सकेगा।"

10. उक्त विनियमों में, अनुसूची I का लोप किया जाएगा।

11. उक्त विनियमों में, प्ररूप 1 में, -

(i) मद 7 में, उप-मद (ख) में, "वैधता" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ii) मद 8 में, "(प्रमाण संलग्न करें)" कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) मद 11 का लोप किया जाएगा ।

12. उक्त विनियमों में, प्ररूप 2 में, -

(क) पैरा 1 में, "/प्रमाणपत्र का नवीकरण (यथा-अनुप्रयोज्य काट दें)" शब्दों और कोष्ठक का लोप किया जाएगा।

(ख) पैरा 3 में, "….. तक वैध होगा और संबंधित विनियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जायेगा" शब्दों के स्थान पर "वैध होगा" शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त विनियमों में, प्ररूप 3 का लोप किया जाएगा।

ले. कर्नल (सेवानिवृत्) कुमार शांतनु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./382/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में फा.सं. बीएस/11/05/2018 तारीख 14.06.2018 द्वारा प्रकाशित किये गये और तत्पश्चात् फा.सं. बीएस/11/05/2018 तारीख 12.10.2018 द्वारा संशोधित किये गये।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

F. No. BS/11/05/2018. —In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 13 and 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in Chapter heading of Chapter I, the word 'Renewal' shall be omitted.

3. In the said regulations, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-

"3. Application for certificate of registration. - (1) A jeweller shall apply for grant of certificate of registration to sell precious metal articles notified under sub-section (1) of section 14 of the Act.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made to the Bureau in Form-I, annexed to these regulations.

(3) The decision of the Bureau with the grounds of rejection shall be communicated in writing to the applicant.

(4) If a jeweller has five or more outlets anywhere in India, he can opt for the certificate of registration at corporate level covering various retail outlets in one certificate."

4. In the said regulations, in regulation 4, -

(i) sub-regulation (1) shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (2), for the words "a period of five years", the word "lifetime" shall be substituted.

5. In the said regulations, in regulation 5, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(3A) Alteration in the hallmarked jewellery upto fifty per cent. of the weight of jewellery or upto two grams, whichever is lower, shall be permitted subject to the responsibility of purity on the jeweller."

6. In the said regulations, regulation 6 shall be omitted.

7. In the said regulations, in regulation 7, -

(i) the words "or non-renewal", wherever they occur, shall be omitted;

(ii) in sub-regulations (1) and (2), the words "or not renew" shall be omitted;

(iii) in sub-regulations (8) and (10), the words "or not renewed" shall be omitted;

(iv) in sub-regulation (12), the words ", non-renewal" shall be omitted.

8. In the said regulations, in regulation 8, after sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(13) Any recognised Assaying and Hallmarking centre may setup an offsite Assaying and Hallmarking centre in accordance with the guidelines issued by the Bureau."

9. In the said regulations, in regulation 10, after sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(10A) The Bureau may relax the hallmarking fee specified under sub-regulation (10) as and when required."

10. In the said regulations, Schedule I shall be omitted.

11. In the said regulations, in Form I, -

(i) in item 7, in sub-item (b), the words "Validity:" shall be omitted.

(ii) in item 8, the brackets and words "(attach proof)" shall be omitted.

(iii) item 11 shall be omitted.

12. In the said regulations, in Form II, -

(i) in paragraph 1, the words and brackets "/renews the certificate granted to (strike out as applicable)" shall be omitted.

(ii) in paragraph 3, the words "to -------and may be renewed in accordance with the said Regulations" shall be omitted.

13. In the said regulations, Form III shall be omitted.

Lt Col (Retd.) KUMAR SHANTANU, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./382/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F. No. BS/11/05/2018 dated the 14th June 2018 and subsequently amended *vide* F. No. BS/11/05/2018 dated the 12th October 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.27 22:13:25 +05'30'